न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
53/दावा/2012	1.03.2012	10.01.2020

विमला शर्मा पत्नि दुर्गाशंकर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी जरिये मुख्तार खास विजय कुमार शर्मा पुत्र दुर्गाशंकर शर्मा निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी

......वादीनी

बनाम

1. नन्दकिशोर आ0 भवाना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. शिवदयाल आ0 भवाना (मृतक) जरिये काम मुकामान–
   2/1 घींसी बाई पत्नि स्वं0 शिवदयाल जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
   2/2 बृजमोहन आ0 स्वं0 शिवदयाल जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
   2/3 बिरधी लाल आ0 स्वं0 शिवदयाल जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. ग्यारसी लाल आ0 भवाना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. बाबू आ0 भवाना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. पप्पू आ0 भवाना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. धन्ना आ0 रामचन्द्र (मृतक) जरिये काम मुकामान–
   6/1 भूरी बाई बेवा स्वं0 धन्ना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. प्रहलाद आ0 धन्ना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
8. हीरा आ0 रतना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
9. देवकिशन आ0 रतना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
10. महावीर आ0 रतना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः–   श्री विजय सिंघल
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 188, 92ए आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि वादिनी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 1277 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी मे स्थित है, जो आराजी वादिनी द्वारा जर्ये पंजीकत विक्रय पत्र दिनांक 21–04–2004 द्वारा जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण से खरीद की गई है। जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक तालेडा (बून्दी) मे पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 54 क्रम सं0 340 पृष्ठ सं0 6 दिनांक 21–04–2004 पर हो रहा है।
2. यह कि वादिनी द्वारा अपनी उक्त आराजी के बाबत अपनी ओर से हर प्रकार के कार्य व कार्यवाहियां करने हेतु अपने पुत्र विजय कुमार शर्मा को अपना मुख्तारखास नियुक्त किया हुआ है जिसका दस्तावेज मुख्तार नामा खास दिनांक 13–02–12 को नोटरी पब्लिक से तस्दीक हो रहा है, जो मुख्तार नामा आज भी प्रभावी है तथा मुख्तार खास उक्त मुकदमें के समस्त तथ्यों से भली भांती परिचित है तथा वादिनी की ओर से उक्त प्रकरण मे हर प्रकार के कार्य व कार्यवाहियां करने, बयान देने आदि के लिये पात्र तथा अधिकृत है।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

यह कि वादिनी कह आराजी खसरा नं0 1277 वाके ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी के पूरब मे रास्ता तथा दक्षिण में वादिनी के पति दुर्गाशंकर शर्मा के खाते की आराजी खसरा नं0 1279 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 10X7 वर्गफुट का चबूतरा बनाने पर आमादा है तथा इस हेतु प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11-02-2012 को वादिनी की आराजी पर आकर नींवे खोदना चालू कर दिया तथा वादिनी के पूत्र संजय शर्मा एवं वादिनी के मुख्तारखास विजय शर्मा द्वारा प्रतिवादीगण को वादिनी की आराजी पर नींवे खोदकर चबूतरे का निर्माण करने से मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि वे वादिनी की आराजी में चबूतरा बनाकर उदजी महाराज (पुरखो की आत्मा) पघरायेगें तथा दिनांक 14-02-2012 को भी वादिनी एवं उसके पुत्रो द्वारा प्रतिवादी क्रम-1 लगायत 10 को समझाया, परन्तु उन्होने कोई बात मानने से इन्कार कर दिया।

4. यह कि वादिनी की आराजी कृषि भूमि है, तथा उक्त आराजी मे प्रतिवादीगण को चबूतरा बनाने तथा किसी प्रकार का निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है तथा वादिनी को उक्त आराजी के पूरब में रास्ते एवं ड्रेन के बाद प्रतिवादी क्रम-6 की आराजी है तथा वादिनी के पति दुर्गाशंकर शर्मा की आराजी खसरा नं0 1279 के दक्षिण में प्रतिवादी नं0 6 एवं प्रतिवादी नं0 8 लगायत 10 की आराजी स्थित है तथा वादिनी की उक्त आराजी के पश्चिम में नौताडा माईनर मे प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की अराजी स्थिती है, जिस प्रतिवादी नं0 1 लगायत 10 की आराजी पर निर्माण कर चबूतरा बनाकर उदजी पघराने के बजाय अवैघ व अनाधिकृत रूप से वादिनी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 10 चबूतरा बनाने पर आमादा है और प्रतिवादीगण के इस प्रकार के अंघविश्वासी कृत्यों से वादिनी की आराजी पर न्यूसेन्स भी पेदा होगा तथा प्रतिवादीगण के उक्त कृत्यों से वादिनी के साम्पत्तिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने साम्पत्तिक अघिकारो की रक्षा हेतु प्रतिवादीगण को न्यायलय के जरिये निषेघाझा प्राप्त कर उनके अवैघ व अनाधिकृत कृत्यो को रोकने के लिये पाबन्द करावे। इसलिये वादिनी को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।

4(ए). यह कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 10 द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त स्थान पर 10X7 वर्गफुट का अवैघ व अनाधिकृत निर्माण कर चबूतरा बना लिया गया है, जो निर्माण (चबूतरा) अवैध व अनाघिकृत होने से तुडवाया जाकर ध्वस्त कर पूर्ववत स्थिति बहाल किया जाना आवश्यक एवं न्यायेचित है।

5. यह कि उक्त वाद में स्टेट ऑफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक् पक्षकार है, जिसके विरूद्व वाद पेश करने से पूर्व घारा 80 सी0पी0सी0 का दोमाह का मियादी नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है और यदि नोटिस देकर दो माह तक इंतजार किया गया, तो प्रतिवादी नं0 1 लगायत 10 वादिनी की उपरोक्त आराजी खसरा नं0 1277 पर चबूतरे का निर्माण कर लेगें, जिससे वादिनी का वाद पेश करना हीं निरर्थक हो जायेगा । इसलिये घारा 80(2) जा0दी0 के अन्तर्गत वाद पेश करने की अनुमति हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

6. यह कि प्रस्तुत वाद का वाद कारण प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 द्वारा दिनांक 11-02-2012 को वादिनी की आराजी पर चबूतरा बनाने की नीयत से नींव खोदने तथा अंतिम बार दिनांक 14-02-2012 को मना कराने के बावजूद्व चबूतरा बनाने पर आमादा होने के कारण दिनांक 14-02-2012 को माननीय न्यायालय के न्यायक्षैत्र में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादिनी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे :-

1. यह कि इस आशय की स्थाई निषेघाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावें कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 10 वादिनी के खातें एवं कब्जें काश्त की आराजी खसरा नं0 1277 वाके ग्राम देलून्दा तहसील व जिला बून्दी पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें, न ही वादिनी की उक्त आराजी पर चबूतरे का निर्माण कर उदजी महाराज पधराए तथा किसी प्रकार का कोई न्यूसेन्स कारित नहीं करे तथा वादिनी के उक्त आराजी पर चलें आ रहें शांतिपूर्ण कब्जें में किसी प्रकार की

Scanned by CamScanner

मजाहमत व मदाखलत नहीं करे। ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों व एजेन्टों से करावें ।

2. यह कि इस आशय का आदेशात्मक व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाया जावें, कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 10 द्वारा वादिनी की आराजी खसरा नं0 1277 पर अवैध व अनाधिकृत रूप से चबूतरे के निर्माण हेतु खोदी गई नीवें प्रतिवादीगण स्वय के खर्चे से भरकर पूर्ववत स्थिति बहाल करें।

3. यह कि वाद व्यय व अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वह भी वादिनी को प्रदान की जावें।

3(ए) यह कि इस आशय का आदेशात्मक व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 द्वारा वादिनी की आराजी ख0सं0 1277 वाके ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी पर अवैध व अनाधिकृत रूप से निर्माण कर बनाये गये चबूतरे का तुडवा कर ध्वस्त कर पूर्ववत स्थिति बहाल करे तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 द्वारा उक्त निर्माण (चबूतरा) ध्वस्त कर पूर्ववत स्थिति बहाल नहीं करने पर प्रतिवादी सं0 11 उक्त अवैध व अनाधिकृत निर्माण को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 के खर्चे पर हटावे तथा वादग्रस्त भूमि के कृषि आराजी स्वरूप को बहाल करे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब दावा पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की और से मुख्तार नामा खास नोटेरी शुद्धा प्रदर्श–1, आंशिक नक्शा ट्रेस ग्राम देलून्दा प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी खाता सं0 344 ग्राम देलून्दा संवत् 2067–70 प्रदर्श–3, विजय कुमार शर्मा आ0 दुर्गाशंकर शर्मा का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 की प्रतियॉ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 344 ख0सं0 1277 रकबा 3.06 बीघा वाके ग्राम देलून्दा संवत् 2067–70 प्रदर्श–3 में विमला पत्नि दुर्गाशंकर देह खाते दर्ज रिकार्ड है। वादीनी उक्त विवादित कृषि भूमि की रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीनी के खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी ख0सं0 1277 रकबा 3.06 बीघा वाके ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे न ही उक्त आराजी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं व अन्य प्रतिनिधि से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास **मोहम्मद ताहीर , आर0ए0एस0**

विमला शर्मा पत्नि दुर्गाशंकर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी जरिये मुख्तार खास विजय कुमार शर्मा पुत्र दुर्गाशंकर शर्मा निवासी ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी
......वादीनी

<u>बनाम</u>

1. नन्दकिशोर आ0 भवाना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. शिवदयाल आ0 भवाना (मृतक) जरिये काम मुकामान–
   2/1 घींसी बाई पत्नि स्वं0 शिवदयाल जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
   2/2 बृजमोहन आ0 स्वं0 शिवदयाल जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
   2/3 बिरधी लाल आ0 स्वं0 शिवदयाल जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
3. ग्यारसी लाल आ0 भवाना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
4. बाबू आ0 भवाना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
5. पप्पू आ0 भवाना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
6. धन्ना आ0 रामचन्द्र (मृतक) जरिये काम मुकामान–
   6/1 भूरी बाई बेवा स्वं0 धन्ना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
7. प्रहलाद आ0 धन्ना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
8. हींरा आ0 रतना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
9. देवकिशन आ0 रतना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
10. महावीर आ0 रतना जाति काछी निवासी देलून्दा तह0 तालेडा जिला बून्दी (राज0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा– 188, 92ए आर.टी.एक्ट</u>
53/दावा/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री विजय सिंघल एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादींनी के खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी ख0सं0 1277 रकबा 3.06 बीघा वाके ग्राम देलून्दा तहसील तालेडा पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे न ही उक्त आराजी पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण स्वयं व अन्य प्रतिनिधि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

नींज............................ मुबलिक............................... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह....................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 10 माह 01 वर्ष 2020 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned by CamScanner